कार्यालयः अध्यक्ष, रद्दी नीलामी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट),
जिला न्यायालय, जयपुर जिला , जयपुर।

कमाकः रिकॉर्ड/नीलामी/ 2021–22/ 187 दिनांक : 06.07.2021

इश्तिहार नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के मिनी सचिवालय स्थित अभिलेखागार में नष्टीकृत कागजो की लगभग 20 से 22 क्विटंल (कम या ज्यादा भी हो सकती है) तथा आगामी 6 माह में एकत्रित होने वाले नष्टीकृत कागजों की नीलामी न्यायालय परिसर में दिनांक 14.07.2021 को कार्यालय समय में सायंकाल 03.00 बजे से 05.00 बजें तक खुली बोली द्वारा की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति/खरीददार किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में रददी कागजात का अवलोकन कर सकते है। नीलामी शर्ते निम्नानुसार हैः–

01. नीलाम किये जाने वाले कागजात की न्यूनतम दर मौके पर ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निश्चित की जायेगी जो अन्य जिलों और कार्यालयों से प्राप्त दरों और प्राप्त सुझावों के आधार पर निश्चित की जायेगी।
02. नीलामी बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक बोली दाता को राशि रू 2000 अक्षरे दो हजार रू मात्र बतौर अरनेस्ट मनी जमा करवाने होंगे जो नीलामी समाप्ति पर लौटा दिये जायेंगे।
03. नीलामी अधिकारी को बिना कोई कारण बताये नीलामी तिथि स्थगित करने तथा अधिक बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
04. नीलामी की दर प्रति क्विंटल से ली जायेगी।
05. अधिकतम नीलामी की राशि बोली देने वाले के नाम नीलामी समाप्त करना या न करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन होगा।
06. अधिकतम बोली लगाने वाले को उसकी बोली स्वीकार हो जाने पर तत्समय राशि रू 5000 अक्षरे पॉच हजार रू मात्र जमा करवाना होगा एव अनुबंध इस आशय का निष्पादित करना होगा कि वह अपने खर्चे पर समस्त रददी नीलामी की तारीख के दस दिवस के भीतर कार्यालय से उठा लेगा अन्यथा उसके द्वारा जमा करवाई गई समस्त राशि जब्त सरकार मानी जायेगी एवं रद्दी की पुनः नीलामी की जावेगी। इस अधिकतम बोली को आगामी छः माह तक यथावत रखा जायेगा तथा इसी दर पर सफल नीलामी दाता को नीलामी अंतिम होने की तारीख से आगामी छः महीने में एकत्रित होने वाली रद्दी को नियमानुसार उठाकर राशि जमा करानी होगी और धरोहर राशि छः माह के बाद ही लौटाई जावेगी व अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि कार्यालय में ही जमा रहेगी।
07. सफल बोली दाता को नीलामी योग्य राशि पर नियमानुसार जीएसटी की राशि अलग से जमा कराकर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

08. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अध्यक्ष (रद्दी नीलामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला न्यायालय,
जयपुर जिला जयपुर

क्रमांकः लेखा/ 188-196 दिनांक : 06.07.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, प्रचार एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित हैः

01. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर
02. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा/अभिलेखागार, जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर।
03. नोटिस बोर्ड संभागीय आयुक्त मिनि सचिवालय, जयपुर
04. नोटिस बोर्ड, जिला कलक्टर, जयपुर।
05. नोटिस बोर्ड पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
06. नोटिस बोर्ड जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना केन्द्र, जयपुर
07. नोटिस बोर्ड कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शहर जयपुर
08. नोटिस बोर्ड , जिला न्यायालय, जयपुर जिला/जयपुर शहर

अध्यक्ष (रद्दी नीलामी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला न्यायालय,
जयपुर जिला जयपुर